

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ

पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी से नरौरा तक गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6 - लेन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई के संबंध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा, भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (अ) कार्यालय जिलाधिकारी, संतरविदासनगर
- (ब) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, संतरविदासनगर
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, संतरविदासनगर
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र बन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी संतरविदासनगर के अपर जिलाधिकारी (वि. एवं राजस्व) संतरविदासनगर के कलेक्टर सभागार, में दिनांक 20.08.07 को अपराह्न 02.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें वें उपस्थित होकर अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणीयों एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ

पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी से नरीरा तक गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6 - लेन एक्सप्रेस हाईवे जनपद वाराणसी निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई के संबंध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा, भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (अ) कार्यालय जिलाधिकारी, वाराणसी
- (ब) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, वाराणसी
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, वाराणसी
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र बन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी, वाराणसी के उप-जिलाधिकारी प्रशासन, वाराणसी के न्यायालय कक्ष में दिनांक 20.08.07 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें वें उपस्थित होकर अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणीयाँ एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ
पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी से नरौरा तक गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6 - लेन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई के संबंध उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा, भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (अ) कार्यालय उप जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
- (ब) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मिर्जापुर।
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, मिर्जापुर।
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र बन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद।
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी, मिर्जापुर के सभागार में दिनांक 20.08.2007 को पूर्वाहन 12.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें वें उपस्थित होकर अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणीयों एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ
पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी से नरौरा तक गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6 - लेन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण, जनपद रायबरेली हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई के संबंध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा, भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (अ) कार्यालय उप जिलाधिकारी, रायबरेली
- (ब) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रायबरेली
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, रायबरेली
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र बन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी, रायबरेली के बचत भवन में दिनांक 20.08.07 को सायंकाल 4.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें वें उपस्थित होकर अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणीयों एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ
पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी से नरौरा तक गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिंचाई विमान द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6 - लैन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु लोक सुनवाई के संबंध उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा, भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/मुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (अ) कार्यालय उप जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
- (ब) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर।
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट, सभागार बुलन्दशहर में दिनांक 20.08.2007 को आपराह्न 02:00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें वे उपस्थित होकर अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणीयों एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ

पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी से नरौरा तक गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6 - लेन एक्सप्रेस हाईके निमांण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु लोक सुनवाई के संबंध उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा, भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (अ) कार्यालय उप जिलाधिकारी, उन्नाव
- (ब) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उन्नाव
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, उन्नाव
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र बन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए कलेक्टर- पन्ना लाल सभागार, उन्नाव में दिनांक 20.08.2007 को अपराह्न 4 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें वे उपस्थित होकर अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अर्थवा सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणीयों एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ

पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी से नरौरा तक गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6 - लेन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु लोक सुनवाई के संबंध उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा, भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (अ) कार्यालय उप जिलाधिकारी, हरदोई
- (ब) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरदोई
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, हरदोई
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र बन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट, सभागार हरदोई में दिनांक 20.08.2007 को 12.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें वें उपस्थित होकर अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणीयों एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ,

पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी से नरीरा तक गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6 - लेन एक्सप्रेस हाईकोर्ट निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई के संबंध उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्घोग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (अ) कार्यालय उप वित्ताधिकारी, शाहजहानपुर
- (ब) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, शाहजहानपुर
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, शाहजहानपुर
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र बन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम नल कन्द्राय भवन, लैन्स्टर-एच, अलीगढ़, लखनऊ
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वरंती
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति टाप्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

अतः सम्मत सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वांकृति सम्बन्धी प्रकरण के नियमाला पर के लिए विकास छण्ड उत्तालाबाद के बैठक कक्ष में दिनांक 20.08.07 को अपराह्न 01.00 बजे से ताक सुनवाई की जाएगी है, जिसमें वे उपस्थित होंगे और अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अपवा सुन्नव, विचार, टंका-टिप्पणीयों एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की जियि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ
पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी नरीरा तक गंगा नदी के बाये तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6' - लेन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई के संबंध उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव थोड़े के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य थोड़े द्वारा, भारत सरकार के यन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (अ) कार्यालय उपजिलाधिकारी, बदायूँ
- (ब) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बदायूँ
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, बदायूँ
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति छाप्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी कार्यालय बदायूँ के सभागार में दिनांक 20.08.07 को पूर्वाहन 12.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें वें उपस्थित होकर अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणीय एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकारण की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ

पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी से नरौरा तक गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6 - लेन एक्सप्रेस हाईकोर्ट निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई के संबंध उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा, भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिनेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (अ) कार्यालय उप जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
- (ब) महोपबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, फर्रुखाबाद।
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, फर्रुखाबाद।
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय नध्य क्षेत्र बन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर।
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए विकास भवन फतेहगढ़ के संभागर में दिनांक 20.08.2007 को 12.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें वे उपस्थित होकर अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणीयों एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ
पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाराणसी से नरौरा तक गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्जिनल बंध के ऊपर 6 - लेन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई के संबंध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा, भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.9.06 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध हैं :-

- (अ) कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़
- (ब) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ़
- (स) कार्यालय जिला पंचायत, प्रतापगढ़
- (द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र बन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
- (य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली
- (र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

उत्त: समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में प्रतापगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 20.08.07 को अंपरान्ह 12.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें वें उपस्थित होकर अपने आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणीयों एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।